

को संज्ञा हो।

(Handwritten signature)

23/7/21

पत्रावली प्रस्तुत। वहील वही कुनु। वहील वही
 डाटा कौटुम्बिक दिनांक 31/3/21 की पालना में
 राज्य दिनांक तक लक्षणा लक्षण प्रस्तुत नही।
 किफाई अतः न्यायालय विधिगत प्रक्रिया संदिग्ध
 के अडिच 9 नियम 5 एवं राज. भू. राजस्व
 अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत वाड को
 खारिज करने का अडिच देला है।

कैसला से राजलाह (मुकाम गगा)

पत्रावली कैसल सुमा लेकर काड तम्हील
 दाखिल करवा है।

(Handwritten signature)

(पवन कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 अनूपगढ़

